

प्रेषकः

अमिताभ कौशल
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, राँची/हजारीबाग/मेदिनीनगर/देवघर/चाण्डील कम्पलेक्स/ईचा-गालूडीह कम्पलेक्स/अग्रिम योजना, राँची, संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी। जल संसाधन विभाग, ज्ञारखण्ड।

राँची, दिनांक : 20/2/2020

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-20 में जल संसाधन विभाग, ज्ञारखण्ड अंतर्गत सिंचाई दे रही वृहत् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के सामान्य सम्पोषण/अनुरक्षण कार्य हेतु रु. 270.28 लाख (दो करोड़ सत्तर लाख अठार्ह स हजार मात्र) रूपये की राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :- प्रशासनिक रवीकृत्यादेश संख्या-31/19-20, दिनांक-26.08.2019 (Online AA-1251/29.08.2019)

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/80-सामान्य	789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उप शीर्ष - 46-सिंचाई योजनाओं का पुनरर्थापन	05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य, विपत्र कोड :- 49S470180789460545	270.28

आवंटित राशि - ₹ दो करोड़ सत्तर लाख अठार्ह स हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2019-20 के बजट उपबंध राशि ₹. 900.00 लाख (नौ करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय रथायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 तथा 2747(वि.), दिनांक-19.09.16 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक रवीकृति, तकनीकी रवीकृति एवं रवीकृत कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय रामीक्षा रवयं करेंगे; एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रारंगणी आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक गें निहित राशि निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र पर निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्राणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
- राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
- आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य भद्र में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

30/9/20

10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. विहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यार्पण 31 मार्च 2020 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है, जिसका Access No. परिशिष्ट-1 के स्तंभ--11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त।

30/12/2020
(अमिताभ कौशल)
सचिव

ज्ञापांक :— *259*

रॉची, दिनांक :— *20/12/2020*

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. — हिन्दू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/रॉची/देवघर/दुमका/गोड्डा/जामताड़ा/गढ़वा/चाईबासा/चक्रधरपुर/गुमला/सिमडेगा/हजारीबाग/बोकारो/पलामू/सरायकेला—खरसावां/चापिडल/घाटशिला/जमशेदपुर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त।

30/12/2020
(अमिताभ कौशल)
सचिव

ज्ञापांक :— *259*

रॉची, दिनांक :— *20/12/2020*

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव योजना—सह—वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशास्त्रा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त।

30/12/2020
(अमिताभ कौशल)
सचिव

विभागीय पत्रांक.....259

दिनांक 20/2/2020

का अनुलग्नक

परिशिष्ट -

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य

लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

उप शीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन।

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 45-निर्माण कार्य

विपत्र कोड- 49S470180789460545

वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट उपबंध रु. 900.00 लाख (नौ करोड़) मात्र।

(राशि लाख रु में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अधियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्त्रीकृति की		मार्च 2019 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सिंचाई प्रमंडल, दुमका (DMKIRR002)	देवघर	वित्तीय वर्ष 2019-20 में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड अंतर्गत सिंचाई दे रही दृहत एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के सामान्य संपोषण/अनुरक्षण कार्य हेतु।	39.86	0.00	0.00	22.00	22.00	85693	प्रमंडल अंतर्गत 8 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान	
2	सिंचाई प्रमंडल, गोड्डा शिविर महगामा (GDDIRR001)			26.90	0.00	0.00	20.00	20.00	85694	प्रमंडल अंतर्गत 4 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान	
3	सिंचाई प्रमंडल, देवघर (DGRCMFF59)			5.42	0.00	0.00	1.80	1.80	85696	प्रमंडल अंतर्गत 2 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान	
4	सिंचाई प्रमंडल, जामताड़ा (JMTMIR001)			5.15	0.00	0.00	4.20	4.20	85698	प्रमंडल अंतर्गत 1 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान	
5	सिंचाई प्रमंडल, सं0-2, जामताड़ा (JMTMIR002)			8.24	0.00	0.00	4.00	4.00	85699	प्रमंडल अंतर्गत 1 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान	
6	सिंचाई प्रमंडल, कुंडहित (JMTMIR003)			37.08	0.00	0.00	10.50	10.50	85700	प्रमंडल अंतर्गत 1 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान	
7	लघु वितरणी प्रमंडल, कुलडंगाल (JMTMIR005)			21.63	0.00	0.00	10.00	10.00	85704	प्रमंडल अंतर्गत 1 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान	
8	जलपथ प्रमंडल, गढ़वा (GRHIRR004)	मोदिनीनगर	वित्तीय वर्ष 2019-20 में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड अंतर्गत सिंचाई दे रही दृहत एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के सामान्य संपोषण/अनुरक्षण कार्य हेतु।	29.05	0.00	0.00	16.28	16.28	85705	प्रमंडल अंतर्गत 7 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान	
9	अनुसंधान प्रमंडल, गढ़वा (GRHIRR001)			5.56	0.00	0.00	5.56	5.56	85706	प्रमंडल अंतर्गत 4 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान	

31/12/2020
(अमिताभ कौशल)
सचिव

विपत्र कोड— 49S470180789460545

वित्तीय वर्ष 2019–20 में बजट उपबंध रु. 900.00 लाख (नौ करोड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र. No.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक रक्षित की		मार्च 2019 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति	
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10	कदवन बाँध प्रमंडल, नगर उटारी, गढ़वा (GRHIR013)	मेदिनीनगर				2.99	0.00	0.00	2.50	2.50	85707	प्रमंडल अंतर्गत 2 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के परिश्रमिक का भुगतान
11	जलपथ प्रमंडल, मेदिनीनगर (PLMIRR003)					38.91	0.00	0.00	20.00	20.00	85708	प्रमंडल अंतर्गत 9 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के परिश्रमिक का भुगतान
12	अग्रिम योजना प्रमंडल, पलामू (PLMIRR081)	मुख्य अभियंता अग्रिम योजना	मेदिनीनगर			7.00	0.00	0.00	7.00	7.00	85710	प्रमंडल अंतर्गत 4 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के परिश्रमिक का भुगतान
13	आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, मेदिनीनगर (PLMIRR007)	2.06				0.00	0.00	2.06	2.06	85712	प्रमंडल अंतर्गत 4 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के परिश्रमिक का भुगतान	
14	रूपांकण प्रमंडल सं-2, मेदिनीनगर (PLMIRR001)	नेदिनीनगर				0.62	0.00	0.00	0.62	0.62	85713	नार्थ कोयल जलाशय योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के परिश्रमिक का भुगतान
15	जलपथ प्रमंडल विशुनपुरा पाटन (PLMIRR095)					27.40	0.00	0.00	3.50	3.50	85716	नार्थ कोयल जलाशय योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के परिश्रमिक का भुगतान
16	रूपांकण प्रमंडल सं-०१, मेदिनीनगर (PLMIRR012)	रौची				3.71	0.00	0.00	3.71	3.71	85717	प्रमंडल अंतर्गत 2 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के परिश्रमिक का भुगतान
17	जलपथ प्रमंडल, राँची (DRNMID043)					17.77	0.00	0.00	12.00	12.00	85718	प्रमंडल अंतर्गत 5 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के परिश्रमिक का भुगतान
18	सिंचाई प्रमंडल, बुण्डु (RNCIRR011)	रौची				46.84	0.00	0.00	24.00	24.00	85719	प्रमंडल अंतर्गत 5 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के परिश्रमिक का भुगतान
19	जलपथ प्रमंडल, खुंटी (RNCIRR02)					14.33	0.00	0.00	12.00	12.00	85720	प्रमंडल अंतर्गत 2 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के परिश्रमिक का भुगतान
20	जलपथ प्रमंडल, चार्चीबासा (SGHIR008)					22.45	0.00	0.00	11.35	11.35	85721	प्रमंडल अंतर्गत 4 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के परिश्रमिक का भुगतान

259
2012/2020

३०.८.२०२०
(अमिताभ कौशल)
सचिव

विपत्र कोड— 49S470180789460545

वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट उपबंध रु. 900.00 लाख (नौ करोड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की		मार्च 2019 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति		
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
21	जलपथ प्रमंडल सं.-1, चक्रधरपुर SGHIRR016	रायंगी	वित्तीय वर्ष 2019-20 में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड अंतर्गत सिचाई योजनाओं के सामान्य संपोषण / अनुक्षण कार्य हेतु।	18.23	0.00	0.00	11.00	11.00	85722	प्रमंडल अंतर्गत 6 अदद सिचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान			
22	जलपथ प्रमंडल, गुमला (GMLIRR001)			15.47	0.00	0.00	15.47	15.47	85723	प्रमंडल अंतर्गत 7 अदद सिचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान			
23	जलपथ प्रमंडल सं.-1, चैनपुर शिविर गुमला (GMLIRR004)			3.09	0.00	0.00	1.80	1.80	85724	अपरशंखा दायी मुख्य नहर का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान			
24	जलपथ प्रमंडल, सं.-2, चैनपुर, गुमला (GMLIRR008)			3.71	0.00	0.00	1.80	1.80	85726	अपरशंखा दायी मुख्य नहर का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान			
25	जलपथ प्रमंडल, सं.-1, सिमडेगा (SDGIRR001)	हजारीबाग	31/19-20 प्र.स्थी. दिनांक 26-08-2019 Online AA-1251/29.08.2019	10.98	0.00	0.00	10.98	10.98	85727	प्रमंडल अंतर्गत 5 अदद सिचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान			
26	जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग (HZBIRR008)			16.25	0.00	0.00	16.25	16.25	85728	प्रमंडल अंतर्गत 11 अदद सिचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान			
27	जलपथ प्रमंडल, बरही (HZBIRR017)			13.33	0.00	0.00	10.00	10.00	85729	प्रमंडल अंतर्गत 5 अदद सिचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान			
28	तेनुधाट बाँध प्रमंडल, तेनुधाट (BKIRR002)			1.88	0.00	0.00	1.88	1.88	85731	प्रमंडल अंतर्गत 3 अदद सिचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान			
29	खरकई बाँध प्रमंडल सं.-2, ईचा-चालियामा (SKLIRR025)	चापिडल / ईचा-गालिंग	वित्तीय वर्ष 2019-20 में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड अंतर्गत सिचाई दे रही वृहत एवं मध्यम सिचाई योजनाओं के सामान्य संपोषण	0.41	0.00	0.00	0.41	0.41	85732	प्रमंडल अंतर्गत 2 अदद सिचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान			
30	सुवर्पिरेखा बाँध प्रमंडल सं.-2, चापिडल (SKLIRR028)			100.96	0.00	0.00	0.83	0.83	85733	पलना जलाशय योजना का वार्षिक संपोषण एवं मौसमी मजदूर का भुगतान			
31	लघु वितरणी प्रमंडल सं.-10, घाटशिला (JSRIRR022)			6.78	0.00	0.00	6.78	6.78	85734	प्रमंडल अंतर्गत 3 अदद सिचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान			
योग				554.06	0.00	0.00	270.28	270.28					
आवंटित राशि — ₹ दो करोड़ सत्तर लाख अठाईस हजार मात्र।													

259
20/21/2020(अमिताभ कौशल)
सचिव